


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

ओम प्रकाश बनाम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू व अन्य

केस संख्या 185/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) दूदू के पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>उभय के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 123/2017 व उनवानी सत्य प्रकाश बनाम श्री नारायण व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) दूदू के पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	


(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर